

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/ छात्राओं के लिए राज्य के 36 जिलों में संचालित कुल अड़तीस (38) प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण

कोर्स:- सिविल सेवा
कोर्स:- एस०एस०सी० एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा

प्रत्येक केन्द्र पर 60-60 (कुल-120) छात्र छात्राओं के दो बैच (प्रशिक्षण अवधि-6 माह) संचालित होंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशत एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 60 प्रतिशत सीट उपलब्ध होंगे।

आवेदन की अंतिम तिथि

31/07/2025

01

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए राज्य के 36 जिलों में संचालित कुल अड़तीस (38) प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण

छात्र/छात्रा की पात्रता :-

- छात्र/छात्रा बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों।
- पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों।
- छात्र/छात्रा की आय सहित उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक अद्यतन आय सभी स्रोतों को मिलाकर ₹0-3,00,000/- तक होनी चाहिए।
- छात्र/छात्रा की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए।



02

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/ छात्राओं के लिए राज्य के 36 जिलों में संचालित कुल अड़तीस (38) प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण

छात्र/छात्राओं के लिए सुविधा :-

- छात्र-छात्राओं को 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर ₹0 3,000 /- (तीन हजार रुपये) मात्र की दर से प्रोत्साहन राशि।
- डिजिटल अध्ययन केंद्र।
- केंद्रस्तरीय पाक्षिक एवं राज्यस्तरीय जाँच परीक्षा।
- उन्नत पुस्तकालय।
- प्रेरणा एवं मार्गदर्शन सत्र।



आवेदन कैसे करें :

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html> पर उपलब्ध है।